संख्या-21/2022/77-1002(003)/1/2022/001-1674

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त् एवं निदेशक,

उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक नवम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 400,25,75,311/- की वित्ती्य स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत युवाओं को निशुल्क टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 27.07.2022 द्वारा यूपीडेस्को को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। उक्त शासनादेश दिनाँक 18.07.2022 के प्रस्तर 3(2) के अनुसार पायलेट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुबंधित आपूर्तिकर्ताओं से अवशेष 5,38,017 उपकरणों की आपूर्ति तथा उक्त पर होने वाले अनुमानित व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट से किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-7 के लेखाशीर्षक ''2852-80-800-0401" के अन्तर्गत धनराशि रू0 150000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-16/2022/77-1002(003)/1/2022/001-1349 दिनांक 31.08.2022 द्वारा रू0 348,71,75,046/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- प्रकरण में उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को) के पत्रांक-डी/22-23/2818 दिनांक 14.10.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 31.08.2022 द्वारा निर्गत धनराशि रू. 348,71,75,046.00 में से दिनांक 11.10.2022 तक उपकरणों के क्रय के सापेक्ष आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को रू. 284,73,58,792.00 (रूपये दो सौ चौरासी करोड़ तिहत्तर लाख अट्ठावन हजार सात सौ बानवे मात्र) का भुगतान करने के पश्चात रू. 63,98,16,254.00 (रूपये तिरसठ करोड़ अठान्वे लाख सोलह हजार दो सौ चौवन मात्र) यूपीडेस्को के पास उपलब्ध है जिसमें से यूपीडेस्को में आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये गए बीजकों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही गतिमान है। दिनांक

25.09.2022 तक आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा की गयी आपूर्ति तथा इस हेतु आवश्यक बजट का विवरण निम्नवत है:

Sr	Name of Firm	Device Type	Unit Price (incl. GST) (Rs.) (A)	Qty. of Supply for which budget was allocated and utilized (B)	Qty. of Supply till 25-09-2022 (C)	Qty.of Supply for which addional budget required (D=C-B)	Amount (A*D)
1	M/s Lava International	Tablet PC	12,606.00	75,000	1,20,000	45,000	56,72,70,000.00
2	M/s Celkon Impex	Tablet PC	12,606.00	60,550	60,550	0	0.00
3	M/s Lava International	Smart phone	10,740.00	1,00,000	2,34,000	1,34,000	143,91,60,000.00
4	M/s United Telelinks (Bangalore) Ltd.	Smart phone	10,740.00	51,837	51,837	0	0.00
5	M/s Celkon Impex	Smart phone	10,740.00	52,630	52,630	0	0.00
	Total			**3,40,017**	**5,19,017**	**1,79,000**	**200,64,30,000.00**

उक्त के अतिरिक्त टैबलेट/स्मार्ट फोन के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के विरूद्ध RITES Ltd. को इंस्पेक्शन किये गए उपकरणों के मूल्य के 0.1% अर्थात रू. 23,67,587.00 (जी.एस.टी. सहित) के व्यय/भुगतान की देयता है।

योजना के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 26.09.2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 26.09.2022 को यूपीडेस्को स्तर से सम्बन्धित 03 आपूर्तिकर्ता संस्थाओं M/s Vision Distribution Pvt. Ltd. (Tablet PC), M/s Celkon Impex Private Limited (Smartphone), M/s United Telelinks (Bangalore) Limited (Smartphone) को अतिरिक्त 25% मात्रा में उपकरणों की आपूर्ति हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट (एल.ओ.आई.) निर्गत किये गए थे। दिनांक 26.09.2022 को सम्बन्धित 03 आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को अतिरिक्त 25% मात्रा में उपकरणों की आपूर्ति हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट (एल.ओ. आई.) एवं जेम कान्ट्रेक्ट निर्गत किये गए थे अतः आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को उक्त वांछित मात्रा में उपकरणों की दिनांक 25.10.2022 तक सम्भावित आपूर्ति के विरूद्ध व्यय /भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण निम्नवत है:

Sr	Name of Firm	Device Type	Unit Price (incl. GST) (Rs.)	Quantity	Amount
1	M/s Vision Distribution Pvt. Ltd.	Tablet PC	12,606.00	60,000	75.63.60.000.00

2	M/s United Telelinks (Bangalore) Ltd.	Smartphone	10,740.00	87,500	93,97,50,000.00
3	M/s Celkon Impex Pvt. Ltd.	Smartphone	10,740.00	87,000	93,43,80,000.00
	Total			**2,34,500**	**2,63,04,90,000.00**

उक्त के अतिरिक्त टैबलेट/स्मार्ट फोन के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के विरूद्ध RITES Ltd. को इंस्पेक्शन किये गए उपकरणों के मूल्य के 0.1% अर्थात रू. 31,03,978.00 (जी.एस.टी. सहित) के व्यय/भुगतान की देयता है।

उक्त सम्पूर्ण के परिप्रेक्ष्य में निम्न धनराशि की आवश्यकता है:

क्र.सं.	**व्यय/भुगतान का विवरण**	**धनराशि रु. में**
1	दिनांक 25.09.2022 तक आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा टैबलेट/स्मार्टफोन की आपूर्ति के विरूद्ध व्यय/भुगतान की देयता	200,64,30,000.00
2	आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को अतिरिक्त 25% मात्रा में टैबलेट/स्मार्टफोन की आपूर्ति के विरूद्ध व्यय /भुगतान की देयता	263,04,90,000.00
3	अतिरिक्त 25% टैबलेट/स्मार्टफोन के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के विरूद्ध RITES Ltd. को व्यय/भुगतान की देयता	54,71,565.00
	कुल योग (1 से 3)	**464,23,91,565.00**

उपरोक्त विवरण के अनुसार दिनांक 25.10.2022 तक आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा टैबलेट/स्मार्टफोन की आपूर्ति के विरूद्ध व्यय/भुगतान की धनराशि 464,23,91,565.00 में से उपलब्ध धनराशि रू. 63,98,16,254.00 को घटाते हुए शुद्ध धनराशि रू. 400,25,75,311.00 (रुपए चार सौ करोड़ पच्चीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) के व्यय /भुगतान की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट धनराशि रू0 150000.00 लाख में से रू0 400,25,75,311/- (रुपये चार अरब पच्चीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या -1-417/10-2013-16/94 दिनांक 26.02.2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र 6(ए) (संशोधि

त) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

5. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 मे द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का राजकोष से एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। धनराशि का आहरण, वास्तविक रूप से आपूर्ति की गयी सामग्री के सापेक्ष नियमानुसार देय भुगतान के अनुसार ही, राजकोष से किया जायेगा।

8. भुगतान किये जाने से पूर्व सम्बन्धित Bid Documents में क्रय सामग्री हेतु उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों, आपूर्ति, टेस्टिंग, डाक्यूमेन्टेशन, वारण्टी आदि एवं अन्य सभी आवश्यक Terms & Conditions का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. आहरण / भुगतान किये जाने से पूर्व जहां आवश्यक हो सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

10. स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में सुंसगत मैनुअल / शासनादेशों / नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,25,75,311 (रुपये चार अरब पच्चीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2852808000401 टेबलेट / स्मार्ट फोन का वितरण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-88-X-2022-23-दिनांक: 09-11-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय),
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या- 21/2022/77-1002(003)/1/2022/001-1674, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यीकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
9. वित्त (व्यसय नियंत्रण) अनुभाग-6
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

Signed by रजनी कान्त पाण्डेय
Date: 09-11-2022 18:55:51
Reason: Approved

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय),
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।